न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदर्शसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– /2024

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 मोहनसिंह 2. मदनसिंह 3. नरपतसिंह पिसरान नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी चूली तहसील व जिला बाड़मेर	बनाम	1 कमला पत्नी स्वरूपचन्द जाति माली निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर 2 रसूल खां पुत्र चनेसर खां जाति मुसलमान निवासी मुसलमानों की ढाणी, बोथिया जागीर तहसील बाड़मेर ग्रामीण। 3. मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद सदीक जाति मुसलमान निवासी तेलियों का वास, बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री नृसिंह सोलंकी, वकील अपीलकर्ता।

2 श्री अमित सोलंकी, वकील उतरदाता

आदेश

दिनांक 06/09/24

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ताओं की खातेदारी की भूमि मौजा बाड़मेर मगरा के खेत खसरा नम्बर 3416/72 रकबा 1.6863 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। अपीलकर्ताओं द्वारा जरूरी रूपयों की आवश्यकता के कारण उक्त विवादित भूमि उतरदाता संख्या 01 कमला पत्नी स्वरूपचन्द जाति माली निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर को जरिये पजीबद्ध बेचान दिनांक 27.08.2024 के 05.00 बीघा, उतरदाता संख्या 02 रसूल खां पुत्र चनेसर को जरिये पजीबद्ध बेचान दिनांक 27.08.2024 के 01.00 बीघा तथा उतरदाता संख्या 03 मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद सदीक को जरिये पजीबद्ध बेचान दिनांक 27.08.2024 के 01.00 बीघा कुल 07.00 बीघा भूमि का बैचान किया गया था। उक्त विक्रय पत्र दस्तावेज के आधार पर वर्तमान में सभी उप पंजीयक कार्यालय एवं तहसील कार्यालय द्वारा बेचान दस्तोवज ऑनलाईन होते ही नामान्तरकरण की प्रविष्टि स्वतः स्वीकृत हो जाती है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि में से उतरदाता संख्या 01 से 03 को बैचान करने के कारण ऑनलाईन नामान्तरकरण संख्या 3082 दिनांक 29.08.2024 को स्वतः स्वीकृत हो गया। उक्त नामान्तरकरण के कारण प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि को बेचान होकर विवादित भूमि से अपीलांट्स का नाम हट गया जबकि उक्त तीनों बेचान के पश्चात भी अपीलांट्स के नाम कुल 03.08 बीघा भूमि हिस्से में शेष है, जिस पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त है तथा बेचान की गई कुल रकबा 07.00 बीघा भूमि पर उतरदाता संख्या 01 से 03 का कब्जा काश्त है। [illegible] दिन पूर्व उक्त खसरा की भूमि की ऑनलाईन जानकारी [illegible] कि अपीलान्ट्स द्वारा विक्रय की गई भूमि का उक्त दस्तावेजात के आधार पर नामान्तरकरण संख्या [illegible] स्वतः स्वीकृत होकर सम्पूर्ण खसरा उतरदाता संख्या 03 के नाम दर्ज हो गया है। लिहाजा मौजा बाड़मेर मगरा के खेत खसरा नम्बर 3416/72 रकबा 1.6863 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में अपीलांट्स द्वारा अपने कुल हिस्से में से रकबा 07.00 बीघा भूमि का ही बैचान करने के कारण ऑनलाईन पजीबद्ध दस्तावेज के कारण स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:33:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

संख्या 3082 दिनांक 29.08.2024 को निरस्त करते हुए अपीलांट्स द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण अपीलांट्स एवं उत्तरदातागण के नाम खातेदारी में अंकित करवाने का आदेश प्रदान करावें।

अपीलांट्स द्वारा अपील अन्दर म्याद होने से दर्ज दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण के अधिवक्ता उपस्थित। वकील उतरदाता संख्या 01 से 03 की और से अपीलांट्स की अपील को स्वीकार करते हुए जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि मौजा बाड़मेर मगरा के खेत खसरा नम्बर 3416/72 रकबा 1.6863 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें से अपीलांट्स द्वारा दिनांक 27.08.2024 को उतरदाता संख्या 01 को रकबा 05.00 बीघा, उतरदाता संख्या 02 को रकबा 01.00 बीघा तथा उतरदाता संख्या 03 को रकबा 01.00 बीघा भूमि का बैचान किया गया था उक्त बैचाननामा का उप पंजीयक कार्यालय से ऑनलाईन होने पर पजीबद्ध दस्तावेज के कारण नामान्तरकरण संख्या 3082 दिनांक 29.08.2024 स्वतः स्वीकृत हो गया है, जो पंबीबद्ध दस्तावेज के अनुसार स्वीकृत नहीं होकर केवल उतरदाता संख्या 03 के नाम स्वीकृत हो गया है, जो गलत होने से नामान्तरकरण संख्या 3082 दिनांक 29.08.2024 निरस्त करते हुए बैचान दस्तोवजों के अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने का निवेदन किया। उतरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा जवाब में यह भी निवेदन किया कि उक्त बैचान की गई भूमि पर उतरदाता संख्या 01 से 03 एवं शेष भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त है।

उभयपक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 3082 दिनांक 29.08.2024, जमाबन्दी संवत् 2074–2077, एवं उतरदाता संख्या 01 से 03 के बैचान दस्तोवज का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि मौजा बाड़मेर मगरा के खसरा नम्बर 3416/72 रकबा 1.6863 हैक्टेयर में से उतरदाता संख्या 01 को रकबा 05.00 बीघा, उतरदाता संख्या 02 को रकबा 01.00 बीघा तथा उतरदाता संख्या 03 को रकबा 01.00 बीघा भूमि का बैचान किया गया था उक्त बैचाननामा का उप पंजीयक कार्यालय से ऑनलाईन होने पर पजीबद्ध दस्तावेज के कारण नामान्तरकरण संख्या 3082 दिनांक 29.08.2024 स्वतः स्वीकृत हो गया है, जो पंबीबद्ध दस्तावेज के अनुसार स्वीकृत नहीं होकर केवल उतरदाता संख्या 03 के नाम [illegible] गया है, जो गलत होने से नामान्तरकरण संख्या 3082 दिना[illegible] जाकर तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को पंजीबद्ध बेचान [illegible] पर जांच करते हुए पुनः नामान्तकरण पारित किये जाने का आदेश पारित किया [illegible]ना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:33:16 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर मौजा बाड़मेर मगरा, पटवार हल्का बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 3416/72 रकबा 1.6863 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे पारित नामान्तकरण संख्या नामान्तरकरण संख्या 3082 दिनांक 29.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

बाडमेर ग्रामीण को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि जाकर मौजा बाड़मेर मगरा, पटवार हल्का बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा नम्बर 3416/72 रकबा 1.6863 हैक्टेयर भूमि में अपीलकर्ता द्वारा बेचान की गई भूमि के आधार पर पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजों की जांच करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तरकरण पारित करें तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 06/09/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:33:16 IST
Reason: SelfAttested